सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 02, गुरूवार, शाके 1944-जून 23, 2022 *Asadha 02, Thursday , Saka 1944- June 23, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 23, 2022

जी.एस.आर.275 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 25-10-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 25, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रकिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 57 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 58 और उसकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

58.	सामाजिक-आर्थिक/अवसंरचना विकास, पर्यावरण संबंधी सुधार, कार्यकुशलता उन्नयन इत्यादि के लिए रिसोर्स मोबीलाइजेशन (जैसे पी.पी.पी. परियोजनाएं/आस्ति पुनर्विकास/आस्ति मानेटाइजेशन) को सम्मिलित करते हुए परियोजना/कार्यक्रम विनिर्मिति और कार्यान्वयन के लिए शुरू से अंत तक वृत्तिक सेवाओं को किराये पर लेना, परामर्श सेवाओं को छोड़कर जहां केवल परामर्श, कार्यान्व्यन की सफलता में बिना किसी भूमिका/पण के लिए अपेक्षित है।	पीडीकोर लिमिटेड	1. फीस, प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित वृत्तिक फीस और परियोजना/ कार्यक्रम के समापन के लिए निर्धारित पूर्णता/ सफलता फीस का संयोजन होगी। 2. कुल सेवा प्रभारों का 50 प्रतिशत, समस्त मामलों में सफलता फीस के रूप में संदेय होगा।

"

[सं.एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.